धन-कर

1957 के अधिनियम 27 की धारा 22घ का संशोधन ।

34. धन-कर अधिनियम, 1957 की धारा 22घ की उपधारा (6क) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा 1 जून, 2011 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(6ख) समझौता आयोग, आदेश की तारीख से छह मास के भीतर किसी समय, अभिलेख से प्रकट किसी गलती को सुधारने की दृष्टि से, उपधारा (4) के अधीन उसके द्वारा पारित किसी आदेश का संशोधन कर सकेगा :

परंतु ऐसा कोई संशोधन, जिसका आवेदक के दायित्व को उपांतरित करने का प्रभाव है, इस उपधारा के अधीन तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक समझौता आयोग ने आवेदक और आयुक्त को ऐसा करने के अपने आशय की सूचना न दे दी हो और आवेदक तथा आयुक्त को सुने जाने का कोई अवसर प्रदान न कर दिया हो ।"।